राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 209/2024

गुलाब चन्द सैनी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, वित्त, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 02.02.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.बी.एल. शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक लेखाधिकारी के पद पर कार्यालय, उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.09.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यालय, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, किशनगढ़बास, अलवर, रिक्त पद पर किया गया। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 (अनुलग्नक–2) के द्वारा पंचायत समिति किशनगढ़बास, अलवर से हटाकर नये जिले खैरथल–तिजारा में शामिल कर ली गई है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 04.01.2023 एवं 03.01.2024 (अनुलग्नक–3) के द्वारा राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया गया है, का उल्लंघन करते हुए अपीलार्थी का स्थानान्तरण बिना मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए एवं बिना प्रशासनिक आवश्यकताओं के किया गया है, जो विधि–विरूद्ध एवं मनमान है। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी के स्थान पर किसी का भी पदस्थापन नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकृत फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.09.2023 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को सहायक लेखाधिकारी को पद पर कार्यालय सहायक उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग,

अलवर में कार्य करने दिया जावे तथा वेतन–भत्तों सहित समस्त पारिणामिक लाभ दिया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेखों एवं अभिवचन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.09.2023 के द्वारा राज्य सरकार की सहमति दिनांक 20.09.2023 को प्राप्त कर लोकहित में किया गया है। जिसमें कोई विधिक विसंगति नहीं है। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवाएं किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

6. आदेश आज दिनांक ..... को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य